संख्या-469/53-1-2025

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 23-05-2025

विषयः उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में द्वितीय संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-283/दुग्ध-9/दुग्ध उद्योग/दुग्ध नीति-2022/2024 - 25,दिनांक-08.11.2024 एवं पत्रांक-333/दुग्ध-9/दुग्ध उद्योग/दुग्ध नीति-2022/2024 - 25,दिनांक-11.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 (यथासंशोधित) में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में "उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 (यथासंशोधित)" में सम्यक विचारोपरान्त संशोधन का निर्णय लिया गया है । तदनुसार उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 (यथासंशोधित) में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

प्रस्तर	वर्तमान में विद्यमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
4.1	**पूंजीगत निवेश अनुदान** प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) के लिये प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स	**पूंजीगत निवेश अनुदान** **(क)** प्रदेश के समस्त जनपदों में दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों की स्थापना अथवा विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में ही) के लिये प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्ट्स

	की लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। **(ख)** नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। **(ग)** विद्यमान डेयरी प्लान्ट में आधुनिक तकनीकी उन्नयन अथवा स्टार्ट-अप जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं उपकरण आदि की स्थापना पर प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। **(घ)** डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसेबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट (ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट)/विलेज लेवल कलेक्सन सेंटर हेतु क्रय की गई मशीनरी, तथा स्पेयर पार्ट्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज अन्तर्गत) **(ड.)** रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली/ डीप फ्रीज़र इत्यादि कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना एवं क्रय

		तथा चिलिंग प्लांट की स्थापना/कोल्डरूम हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पाट्र्स की लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। (बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज अन्तर्गत) **(च)** पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण (मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पाट्र्स की लागत पर 35 प्रतिशत, अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। **(छ)** सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद जैसेः- चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना हेतु क्रय की गई मशीनरी की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50.00 लाख की सीमा तक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
4.2	**ब्याज उपादान** **(क) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना** नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पाट्र्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर	विलोपित

जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 10.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना

नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 7.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ग) दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन

विद्यमान डेयरी प्लान्ट में तकनीकी उन्नयन जैसे स्काडा सिस्टम, न्यू जेनरेशन तकनीक की मशीनरी एवं उपकरण आदि की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(घ) दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी

डेयरी प्लांट के बाहर फील्ड में ट्रेसेबिलिटी एवं क्वालिटी कन्ट्रोल उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (कोल्ड चेन के अतिरिक्त) हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर

जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ड.) कोल्ड चेन की स्थापना

रेफ्रीजरेटेड वैन/इन्सुलेटेड वैन/रोड मिल्क टैंकर, बल्क मिल्क कूलर, आइसक्रीम ट्राली इत्यादि कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना एवं क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 0 5 प्रतिशत की दर अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 1.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(च) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(छ) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 2 5 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी पर लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ज) मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने

	वाली इकाईयों को ब्याज उपादान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसेः-चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	
4.10	---------	**बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रोत्साहन प्राविधान।** औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अवस्थित डेयरी से संबंधित इकाइयों/चिलिंग प्लांट/ बीएमसी आदि को 75 के0वी0ए0 तक के सौर ऊर्जा संयत्रों को स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुदान सौर ऊर्जा परियोजना की लागत का 50% होगा और यह महिलाओं के स्वामित्व और संचालन वाली इकाइयों के लिए 90% होगा।
10.3	उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022, अधिसूचना की तिथि से 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 की प्रख्यापन तिथि से पूर्व, दुग्ध विकास विभाग में तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पोर्टल पर दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित, प्राप्त आवेदनों, जिनको उक्त कट आफ तिथि से पूर्व बैंक ऋण स्वीकृत हो चुका है, को उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022, अधिसूचना की तिथि से 05 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 की प्रख्यापन तिथि से पूर्व, दुग्ध विकास विभाग में तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पोर्टल पर दुग्ध प्रसंस्करण से सम्बन्धित, प्राप्त आवेदनों, जिनको उक्त कट आफ तिथि से पूर्व बैंक ऋण स्वीकृत हो चुका है, को उत्तर प्रदेश

	दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान एवं रियायतें स्वीकृत की जायेंगी ।	दुग्ध नीति-2018 के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान एवं रियायतें स्वीकृत की जायेंगी । उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 (यथासंशोधित) के द्वितीय संशोधन की तिथि से पूर्व आनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हो चुके पूर्ण परियोजना प्रस्तावों के संबंध में अनुदान एवं रियायतों के लिए कार्यवाही नीति के पूर्व प्राविधानों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

3- उपर्युक्तानुसार अधिसूचना संख्या-03/2022/1050/53-1099(099)/26/2022, दिनांक-17.10.2022 द्वारा प्रख्यापित एवं शासनादेश दिनांक-938/53-1-2023, दिनांक-03.10.2023 द्वारा संशोधित "उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022" को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त नीति के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे । कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

Digitally signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 23-05-2025 20:12:15

(के0 रविन्द्र नायक)

प्रमुख सचिव

<u>संख्या- 469(1)/53-1-2025 एवं तददिनांक</u> ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- सचिव,पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली, भारत सरकार।

3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

7- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।

8- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

12 मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

13- वित (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।

14- वेब मास्टर,दुग्धशाला विकास विभाग,जवाहर भवन,लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

पंकज कुमार सिंह

अनु सचिव।